



कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)

CIN: U35201MH1990GOI223738

पंजीकृत कार्यालय: बेलापुर भवन, सेक्टर 11, प्लॉट नंबर 6, सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई - 400614, महाराष्ट्र

मंगलवार, 10 सितंबर, 2024 को 14:30 बजे आयोजित शेयरधारकों की 34 वीं वार्षिक आम बैठक के कार्यवृत्त।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से

वेबलिनक: <https://konkanrailway1.webex.com/konkanrailway1/j.php?MTID=m4151d9122a696dba17a8c418483548de>

बैठक संख्या 2515 228 1374

बैठक प्रारंभ: 14:30 बजे

बैठक समाप्त: 15:00 बजे

उपस्थित शेयरधारक:

| | |
|----|--|
| 1. | श्री अनुराग कपिल कार्यकारी निदेशक वित्त (व्यय-II), रेलवे बोर्ड, भारत के राष्ट्रपति के प्रतिनिधि |
| 2. | श्री संजय सेठी अतिरिक्त मुख्य सचिव (परिवहन), गृह (परिवहन) विभाग महाराष्ट्र सरकार महाराष्ट्र के राज्यपाल के प्रतिनिधि |
| 3. | श्री श्रीधर मूर्ति एन.एस. अतिरिक्त सचिव, सरकार (रेलवे), बुनियादी ढांचा विकास विभाग कर्नाटक सरकार कर्नाटक के राज्यपाल के प्रतिनिधि |
| 4. | श्रीमती विजयश्री के.एस. अतिरिक्त सचिव, परिवहन विभाग, केरल सरकार केरल के राज्यपाल के प्रतिनिधि |
| 5. | श्रीमती नीवा जैन अतिरिक्त रेजिडेंट कमिश्नर महाराष्ट्र सरकार |

उपस्थित निदेशक:

| | |
|----|---|
| 1. | श्री संतोष कुमार झा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक डी आई एन(07738247) बैठक के अध्यक्ष |
| 2. | श्री आर. एम. भदांग निदेशक (वित्त) डी आई एन(09050270) |
| 3. | श्री आर. के. हेगड़े निदेशक (मार्ग एवं निर्माण) डी आई एन(10148836) |
| 4. | श्री अनुराग कपिल कार्यकारी निदेशक वित्त (व्यय-II), रेलवे बोर्ड, डी आई एन(06640383) |
| 5. | श्री सन्मोय बनर्जी स्वतंत्र निदेशक डी आई एन(09440533) |

सांविधिक लेखा परीक्षक:

| |
|---|
| सीए निरंजन जोशी भागीदार मेसर्स. सारदा और पारीक एलएलपी चार्टर्ड अकाउंटेंट |
|---|

सचिवीय लेखा परीक्षक:

| |
|--|
| सीएस प्रियंका यादव प्रियंका यादव एंड एसोसिएट्स अभ्यासरत कंपनी सचिव |
|--|

विशेष आमंत्रित:

| |
|---|
| श्री देबाशीष मित्रा महाप्रबंधक (वित्त) कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड |
|---|

उपस्थित:

| |
|-----------------------|
| श्री राजेंद्र सी. परब |
|-----------------------|

1.0. अध्यक्ष और कोरम

1.1 निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक होने के नाते श्री संतोष कुमार झा ने कंपनी के एसोसिएशन के लेखों के अनुच्छेद 48 के अनुसार अध्यक्षता की और बैठक की कार्यवाही के संचालन के लिए बैठक को खुला घोषित किया।

1.2 कंपनी सचिव ने बताया कि यह बैठक कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुपालन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की जा रही है, जिसे कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचनाओं और दिशानिर्देशों के साथ पढ़ा जा रहा है और उन्होंने सुनिश्चित किया कि कंपनी के एसोसिएशन के लेखों के अनुच्छेद 44 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के प्रतिनिधि सहित 5 (पांच) सदस्यों का अपेक्षित कोरम मौजूद था।

1.3 अध्यक्ष ने भारत के राष्ट्रपति के प्रतिनिधि और भाग लेने वाले राज्यों के राज्यपालों, शेरधारकों, निदेशकों और निगम के लेखा परीक्षकों के प्रतिनिधियों का सौहार्द से स्वागत किया।

1.4 अध्यक्ष ने निम्नलिखित घटनाओं के बारे में उल्लेख किया:-

(i) माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने 19.07.2024 को मुंबई का दौरा किया और महाराष्ट्र की विभिन्न रेलवे परियोजनाओं पर केआरसीएल, सीआर और डब्ल्यूआर के रेलवे अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की।

(ii) वी. सोमना ने 17.07.2024 को मंगलुरु का दौरा किया और यात्री सुविधाओं में सुधार और अन्य रेलवे से संबंधित मुद्दों के लिए माननीय सांसदों एमएक्यू और यूडी, माननीय विधायकों, केआरसीएल, एसआर और एसडब्ल्यूआर के रेलवे अधिकारियों के साथ चर्चा की।

(iii) 24.07.2024 को, श्री पुरुषोत्तम, लोको पायलट और श्री मंजूनाथ नाइक, सहायक लोको पायलट, ट्रेन नंबर 12619 के चालक दल ने बरकुर-उडुपी सेक्शन में ट्रैक पर एक गिरा हुआ पेड़ देखा और तुरंत ब्रेक लगाए, जिससे यात्री सुरक्षा सुनिश्चित हुई। उनकी सतर्कता के लिए, उन्हें प्रत्येक को ₹ 15000/- से सम्मानित किया गया।

(iv) 30.07.2024 को, निगम ने रत्नागिरी रेलवे स्टेशन पर विभिन्न यात्री सुविधाओं के उन्नयन के लिए महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। बैठक में लगभग 100 प्रमुख हितधारकों ने भाग लिया था।

(v) 06.08.2024 को, कोंकण रेल विहार के कार्यकारी क्लब में 'ठेकेदारों और आपूर्तिकर्ताओं की बैठक' का आयोजन किया गया था। बैठक में लगभग 100 प्रमुख हितधारकों ने भाग लिया था।

(vi) 16.08.2024 को माननीय सांसद श्री कोटा श्रीनिवास पुजारी द्वारा उडुपी स्टेशन पर एक कार्यकारी लाउंज का

उद्घाटन किया गया।

(vii) माननीय विधायक श्री शेखर जी निकम की उपस्थिति में 04.09.2024 को चिपलून स्टेशन पर एक कार्यकारी लाउंज और डायनेमिक क्यूआर कोड डिवाइस का उद्घाटन किया गया।

(viii) 05.09.2024 को, केआरसीएल ने कोचिंग और मालगाड़ियों दोनों सहित अधिकतम संख्या में इंटरचेंज किए। 111 ट्रेनें इंटरचेंज की गईं, जिनमें से 84 कोचिंग ट्रेनें और 27 मालगाड़ियाँ थीं। पिछला सर्वश्रेष्ठ वर्ष 2022-23 में 93 था।

(ix) 08.09.2024 को, श्री सतीश कुमार, अध्यक्ष और सीईओ रेलवे बोर्ड ने यूएसआरबीआरएल परियोजना का दौरा किया और चिनाब ब्रिज, ब्रिज टी-1 आदि की समीक्षा की।

(x) 03.09.2024 को मडगांव से द्वि-साप्ताहिक ट्रेन एमएओ-बीडीटीएस को हरी झंडी दिखाई गई। इसके अलावा, अध्यक्ष ने अपने भाषण में निगम की निम्नलिखित उपलब्धियों पर प्रकाश डाला:

2.0. वित्तीय प्रदर्शन

2.1 उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए प्राप्त कुल राजस्व 2022-23 के 5152.25 करोड़ रुपये (पुनः घोषित) की तुलना में 4677.53 करोड़ रुपये था और शुद्ध लाभ 2022-23 के 278.93 करोड़ रुपये की तुलना में 301.73 करोड़ रुपये था। यह निगम द्वारा अपनी स्थापना के बाद से प्राप्त किया गया अब तक का सबसे अधिक लाभ है।

2.2 उन्होंने बताया कि निगम ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए रेल मंत्रालय के साथ निर्धारित समझौता ज्ञापन लक्ष्यों में "बहुत अच्छा" रेटिंग हासिल की है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अपेक्षित समझौता ज्ञापन रेटिंग "उत्कृष्ट" है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए रेल मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप दे दिया गया है।

3.0. परिचालन प्रदर्शन

3.1 उन्होंने बताया कि वर्ष के दौरान कोंकण रेलवे पर प्रतिदिन औसतन 49 जोड़ी मेल/एक्सप्रेस ट्रेनें तथा 04 जोड़ी यात्री ट्रेनें चलाई गईं। वित्तीय वर्ष के दौरान यात्री राजस्व 1029.99 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वर्ष की 975.09 करोड़ रुपये की इसी अवधि की आय से 5.6% अधिक है। यह अब तक का सर्वाधिक है।

3.2 माल ढुलाई के मोर्चे पर, वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान रोल ऑन-रोल ऑफ (आरओआरओ) सेवाओं सहित औसतन प्रतिदिन 18 मालगाड़ियां चलाई गईं। वित्तीय वर्ष के दौरान माल ढुलाई राजस्व 700.62 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वर्ष के 746.41 करोड़ रुपये से 6.1% कम है।

4.0. परियोजनाएं उन्होंने कहा कि पिछले छह महीनों में निगम ने 12,000 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं

के लिए बोली लगाई है और इसने (एल 1) 1500 करोड़ रुपये की परियोजनाएं जीती हैं। इसके अलावा, उन्होंने निम्नलिखित परियोजनाओं की स्थिति के बारे में उल्लेख किया:

ए. यूएसबीआरएल परियोजना (जम्मू और कश्मीर): वर्ष 2023-24 के दौरान 2522.37 करोड़ रुपये (जीएसटी को छोड़कर) का कारोबार हासिल किया गया, जबकि वित्तीय वर्ष 2022-23 में 3135.14 करोड़ रुपये (जीएसटी को छोड़कर) का कारोबार हुआ। 20.02.2024 को, माननीय प्रधान मंत्री ने बनिहाल-खारी-सुंबर-संगलदान खंड के बीच नई रेल लाइन और बारामुल्ला-श्रीनगर-बनिहाल-संगलदान खंड का विद्युतीकरण राष्ट्र को समर्पित किया।

बी. रक्सौल-काठमांडू नई विद्युतीकृत बीजी लाइन के लिए अंतिम स्थान सर्वेक्षण: पूर्व मध्य रेलवे ने रक्सौल (भारत) और काठमांडू (नेपाल) के बीच नई बीजी लाइन (136 किमी) के लिए अंतिम स्थान सर्वेक्षण प्रदान किया है और इसे कोंकण रेलवे द्वारा निष्पादित किया जा रहा है। पूर्ण खंड के लिए ट्रैवर्स सर्वेक्षण, स्थलाकृतिक सर्वेक्षण, भूवैज्ञानिक मानचित्रण और क्षेत्र सर्वेक्षण पूरा हो गया है। एफएलएस रिपोर्ट को ईसीआर/रेलवे बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है। परियोजना मूल्यांकन समिति/गतिशक्ति, रेलवे बोर्ड ने रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है और परियोजना को आगे बढ़ाने की सिफारिश की है।

5.0. सुरक्षा कार्य अध्यक्ष ने निम्नलिखित कहा:

5.1. वर्ष 2023-24 के दौरान, किसी भी प्रकार की दुर्घटना की सूचना नहीं मिली और सुरक्षा रिकॉर्ड संतोषजनक था।

5.2. कोंकण रेलवे का अंतर रेलवे सुरक्षा ऑडिट 01 और 02 नवंबर 2023 को आरएन और केएडब्ल्यूआर क्षेत्र में मेट्रो रेलवे कोलकाता के एसएजी अधिकारियों की सुरक्षा ऑडिट टीम द्वारा आयोजित किया गया था। केआरसीएल अधिकारियों की टीम द्वारा 19 और 20 अप्रैल 2023 को कारवार क्षेत्र का इंद्रा रेलवे सुरक्षा ऑडिट आयोजित किया गया है। केआरसीएल अधिकारियों की टीम द्वारा 17 और 18 जुलाई 2023 को रत्नागिरी क्षेत्र का इंद्रा रेलवे सुरक्षा ऑडिट आयोजित किया गया है। केआरसीएल अधिकारियों की टीम द्वारा 26 और 27 फरवरी 2024 को कारवार क्षेत्र का इंद्रा रेलवे सुरक्षा ऑडिट आयोजित किया गया है। कुल मिलाकर, ऑडिट संतोषजनक था। जिन बिंदुओं पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता थी, उन सभी पर ध्यान दिया गया है। कुछ मर्दों के लिए, दीर्घकालिक योजना की आवश्यकता है और इन पर काम किया जा रहा है।

5.3. वर्ष 2023-24 के दौरान, निगम ने कुल 80 किमी लंबाई के लिए कुल ट्रैक नवीनीकरण (पूर्ण ट्रैक नवीनीकरण / वेल्ड नवीनीकरण के माध्यम से) पूरा कर लिया है। निर्माण के दौरान बिछाई गई कुल एम/एल लंबाई 746 किलोमीटर में से, 31.03.2024 तक 631 किलोमीटर ट्रैक नवीनीकरण पूरा हो चुका है। उपरोक्त सुरक्षा कार्य पूरा होने के बाद, निगम ने पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 की तुलना में वेल्ड विफलताओं में 37% की कमी हासिल की है।

6.0. संसदीय समितियां अध्यक्ष ने कहा कि वर्ष 2023-24 के दौरान, निगम के कामकाज की समीक्षा 5 संसदीय समितियों द्वारा की गई।

7.0. आगे का रास्ता - व्यवसाय विकास अध्यक्ष ने निम्नलिखित के बारे में कहा:

7.1 माल परिचालन:-

7.1.1. कंटेनरीकरण की उभरती प्रवृत्ति के अनुकूल होने के लिए, केआर में 5 माल शेड, अर्थात् इंदापुर, खेड़, रत्नागिरी, वेरना और थोकुर को कंटेनर रेल टर्मिनल घोषित किया गया है। खेड़ और रत्नागिरी सीआरटी में कंटेनर हैंडलिंग बुनियादी ढांचे को सफलतापूर्वक विकसित किया गया है, और दोनों स्थानों से यातायात शुरू हो गया है, धीरे-धीरे रत्नागिरी के लिए गति पकड़ रहा है। वर्तमान में, इन टर्मिनलों पर घरेलू और एक्जिम दोनों रोक संभाले जा रहे हैं जनवरी 2024. यह अनुमान है कि कोंकण रेलवे में कंटेनर यातायात से इस वर्ष कुल 73.75 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होगा।

7.1.2. लॉजिस्टिक्स और आपूर्ति श्रृंखला का केंद्र, वेयरहाउसिंग इस वर्ष निगम के लिए एक प्रमुख फोकस क्षेत्र रहा है। निगम ने 200 करोड़ रुपये के निवेश के साथ कोंकण रेलवे पर विश्व स्तरीय माल शेड और अत्याधुनिक वेयरहाउसिंग के विकास के लिए एक समझौता ज्ञापन के माध्यम से केंद्रीय भंडारण निगम के साथ भागीदारी की है। पहले चरण में, 4 स्थानों, अर्थात् थोकुर, उडुपी, वेरना और इंदापुर में 2 लाख वर्ग फुट वेयरहाउसिंग विकसित की जा रही है। थोकुर में विकास कार्य पूरा हो चुका है, उडुपी पूरा होने वाला है, और वेरना और इंदापुर में निर्माण कार्य चल रहा है, जिसके दिसंबर 2024 तक पूरा होने की उम्मीद है। इन स्थानों के लिए कुल निवेश 60.79 करोड़ रुपये है। चरण II में विकास के लिए जराप, रत्नागिरी और गोरेगांव रोड जैसे और स्थानों की जांच की जा रही है।

7.1.3. लॉजिस्टिक्स उद्योग की गतिशील प्रकृति और एकीकृत कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स पर बढ़ते जोर को देखते हुए, निगम रत्नागिरी में 7861 वर्ग मीटर क्षेत्र में 2000 मीट्रिक टन की कुल भंडारण क्षमता के साथ कोल्ड स्टोरेज और एकीकृत पैकहाउस विकसित कर रहा है। ₹ 18.66 करोड़ के कुल निवेश वाली यह परियोजना क्षेत्र में मत्स्य पालन और आम उत्पादकों/ट्रांसपोर्टर्स की भंडारण और निर्यात जरूरतों को पूरा करने के लिए शुरू की जा रही है। 12 डिग्री से -18 डिग्री तक के तापमान की आवश्यकता वाले उत्पादों के भंडारण के लिए रीफर कंटेनरों के लिए प्लग-इन सुविधाओं के साथ फलों की धुलाई, पृथक्करण, पैकिंग, भंडारण जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। परियोजना के लिए एपीडा द्वारा ₹ 1.5 करोड़ की धनराशि मंजूर की गई है। महाप्रीट ने विकास कार्य के लिए एजेंसी को पहले ही अंतिम रूप दे दिया है यातायात की मात्रा 14 हाफ रोक प्रति माह है, तथा वर्ष के दौरान 18.48 करोड़ रुपये का आरंभिक राजस्व अनुमान है।

7.2. परियोजनाएँ:

7.2.1. घरेलू परियोजनाएँ:

(i) नवी मुंबई मेट्रोलाइन-1 का संचालन और रखरखाव- निगम ने 12.73 करोड़ रुपये के अनुबंध मूल्य पर 3 वर्ष की अवधि के लिए ट्रेन संचालन सेवाएँ, स्टेशन नियंत्रण, जनशक्ति की आपूर्ति और अन्य ओ एंड एम गतिविधियाँ की हैं।

(ii) विज्ञानजाम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह (वीआईएसएल), केरल तक रेल संपर्क: विज्ञानजाम बंदरगाह, बलरामपुरम रेलवे स्टेशन को जोड़ने के लिए निगम और वीआईएसएल के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। एनजीआर मॉडल के तहत 1200.38 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को दक्षिण रेलवे द्वारा अनुमोदित किया गया है। परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण प्रगति पर है।

(iii) अनक्कमपोयिल - कल्लाडी - मेप्पाडी सुरंग सड़क परियोजना (AKM): केरल सरकार ने AKM सड़क सुरंग परियोजना के निष्पादन के लिए KRCL को विशेष प्रयोजन वाहन (SPV) के रूप में नियुक्त किया है। परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए कोंकण रेलवे, लोक निर्माण (एच) विभाग और केरल इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड (KIIFB) के बीच एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। निगम ने 4 लेन की पहुंच सड़क और दक्षिणी छोर पर दो समानांतर प्रमुख पुलों के साथ द्विन ट्यूब यूनिटायरेक्शनल सुरंग के लिए 2043.74 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से डीपीआर तैयार की है। केरल सरकार से डीपीआर के लिए प्रशासनिक मंजूरी मिल गई है। निविदाओं को अंतिम रूप दिया जा चुका है।

(iv) निगम वर्तमान में एमएमआरडीए, एसएमसी और आनंद, राजकोट और जीडब्ल्यूएसएसबी में पीडब्ल्यूडी के आर एंड बी डिवीजन के साथ काम करते हुए 966 लाख रुपये मूल्य की 16 परियोजनाओं के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श सेवाएं दे रहा है इसके अतिरिक्त, हम मध्य रेलवे, एनएचएआई, पश्चिम रेलवे और केडब्ल्यूआईएल की विभिन्न परियोजनाओं के लिए डिजाइन, ड्राइंग, सर्वेक्षण और निरीक्षण सहित व्यापक परामर्श सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, जिनकी कुल लागत ₹ 5534 लाख है।

(v) ईस्ट कोस्ट रेलवे, ओडिशा में खुर्दा रोड - बोलनगीर नई बीजी रेल लाइन परियोजना में वायाडक्ट, प्रमुख पुलों और आरओबी का क्रियान्वयन। इस परियोजना में 2 प्रमुख वायाडक्ट, 11 प्रमुख पुल, 7 आरओबी और 1 आरयूबी का निर्माण शामिल है। परियोजना की कुल लागत ₹ 337.17 करोड़ है और प्रगति पर है।

(vi) निगम ने उत्तर पश्चिम रेलवे के अजमेर मंडल में तरंगा हिल - आबू रोड वाया अंबाजी नई बीजी लाइन परियोजना के निर्माण के लिए दो पैकेज हासिल किए हैं, जिनकी कुल लागत ₹ 715.80 करोड़ है। साइट पर मोबिलाइजेशन कार्य शुरू हो गया है।

(vii) निगम विभिन्न क्षेत्रीय रेलवे और अन्य प्रतिष्ठानों में पूरे भारत में 83 परियोजनाओं के लिए स्ट्रक्चरल स्टील फैब्रिकेशन कार्य का तृतीय पक्ष निरीक्षण कर रहा है।

(viii) अन्य क्षेत्रीय रेलवे के लिए रूट विद्युतीकरण: निगम अपनी परियोजना आय बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर रेलवे विद्युतीकरण परियोजनाओं के लिए बोली लगा रहा है। इस संबंध में, निगम को अन्य क्षेत्रीय रेलवे के रूट विद्युतीकरण कार्य के लिए ₹ 338.67 करोड़ की परियोजना लागत के साथ 09 एलओए प्राप्त हुए हैं एलएचबी बोगी ओवरहाल के

लिए क्लस्टर-1 लगभग पूरा हो चुका है और सितंबर 2024 के बाद चालू होने की उम्मीद है। अब तक की वित्तीय प्रगति ₹ 344.96 करोड़ रही है। निगम परियोजना के पूरा होने के बाद आरएससीएफ के संचालन और रखरखाव के बाद के काम को प्राप्त करने के लिए उत्सुक है।

(ix) रोलिंग स्टॉक कंपोनेंट फैक्ट्री (आरएससीएफ) - मध्य रेलवे के लिए आरएससीएफ का निर्माण अच्छी तरह से आगे बढ़ा है। एलएचबी बोगी ओवरहाल के लिए क्लस्टर-1 लगभग पूरा हो गया है और सितंबर 2024 के बाद चालू होने की उम्मीद है। अब तक की वित्तीय प्रगति ₹ 344.96 करोड़ रही है। निगम परियोजना के पूरा होने के बाद आरएससीएफ के संचालन और रखरखाव के बाद के काम को पाने के लिए उत्सुक है।

(x) निगम ने भारत और विदेशों में आगामी मेट्रो रेल परियोजनाओं के लिए संयुक्त रूप से पिच करने के लिए दिल्ली मेट्रो (डीएमआरसी) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जो मेट्रो/रेलवे, हाई-स्पीड रेल, राजमार्ग, मेगा-पुल, सुरंगों, संस्थागत भवनों, कार्यशालाओं या डिपो, एसएंडटी कार्यों और रेलवे विद्युतीकरण को शामिल करने वाली बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए परियोजना सेवा प्रदाता के रूप में है। साथ ही, मेट्रो कोचों की आपूर्ति के लिए इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री, चेन्नई के साथ बैठक की गई।

7.2.2 अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाएं:

(i)(ए) नेपाल परियोजना: निगम दिसंबर 2024 तक नेपाल रेलवे के जयनगर और कुर्था स्टेशनों के बीच इंडो-नेपाल क्रॉस बॉर्डर रेलवे के संचालन और रखरखाव में लगा हुआ है। समझौते के हिस्से के रूप में, निगम ने डेमू ट्रेनसेट का संचालन और रखरखाव किया, विशेषज्ञ जनशक्ति और न्यूनतम उपकरण की आपूर्ति की, रेलवे संचालन के लिए बुनियादी प्रणालियां बनाईं और ट्रैक और सिग्नलिंग सिस्टम के रखरखाव के लिए तकनीकी सहायता प्रदान की। परियोजना का अनुबंध मूल्य ₹ 24.74 करोड़ है।

(i)(बी) नेपाल रेलवे के पीवे और एस एंड टी परिसंपत्तियों के एकमुश्त पुनरुद्धार/रखरखाव का कार्य: रेलवे बोर्ड ने नेपाल रेलवे के पीवे और एस एंड टी परिसंपत्तियों के एकमुश्त पुनरुद्धार का कार्य केआरसीएल को दिया है टाटा केमिकल्स लिमिटेड, मगदी, केन्या को मार्च 2023 में ट्रैक, लोकोमोटिव और रोलिंग स्टॉक सहित रेलवे सिस्टम के पुनर्वास के लिए अनुबंधित किया गया था और इस परियोजना पर काम पहले ही शुरू हो चुका है। इस परियोजना का पहला चरण जुलाई 2023 में पूरा हुआ। परियोजना का मूल्य ₹ 1.14 करोड़ है।

8.0. औद्योगिक संबंध उन्होंने कहा कि इस अवधि के दौरान औद्योगिक संबंध शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण रहे। उन्होंने निगम की सेवाओं के संचालन के लिए अपना समर्थन देने के लिए मान्यता प्राप्त यूनियन और एसोसिएशनों के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने आगे बताया कि केआरसीएल के यूनियनों के लिए चुनाव होने वाले थे और अब चुनाव कराने के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है।

9.0. कॉर्पोरेट प्रशासन उन्होंने कहा कि वर्ष 2023-24 के दौरान, निगम ने कॉर्पोरेट प्रशासन से संबंधित डीपीई दिशानिर्देशों और कंपनी अधिनियम, 2013 का पालन किया। उन्होंने आगे बताया कि चालू वित्त वर्ष में निगम द्वारा की जाने वाली सीएसआर गतिविधियों के लिए निगम सीएसआर व्यय करेगा।

10.0. पारदर्शिता उन्होंने बताया कि पारदर्शिता को बढ़ावा देने और उसे सुविधाजनक बनाने के लिए केआरसीएल ने विभिन्न डिजिटल और अन्य पहल शुरू की हैं। वर्ष के दौरान ऑनलाइन शिकायत करने और प्रगति को ऑनलाइन ट्रैक करने के लिए ऑनलाइन सतर्कता शिकायत प्रबंधन प्रणाली - 2.0 शुरू की गई।

11.0. विविध अध्यक्ष ने बताया कि निगम में "राजभाषा" के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए केआरसीएल को निम्नलिखित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया:

12.1 वर्ष 2022-23 के दौरान अखिल भारतीय स्तर पर 'ख' क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की श्रेणी के अंतर्गत राजभाषा कार्यान्वयन में सराहनीय कार्य करने के लिए कॉर्पोरेशन को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार- तृतीय स्थान की राजभाषा शील्ड' प्रदान किया गया। कोंकण रेलवे को नौवीं बार यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है।

12.2 वर्ष 2022-23 के दौरान अखिल भारतीय स्तर पर 'ख' क्षेत्र में स्थित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की श्रेणी के अंतर्गत राजभाषा कार्यान्वयन में सराहनीय कार्य करने के लिए कोंकण रेलवे द्वारा संचालित नवी मुंबई नराकास को तृतीय स्थान का 'नराकास राजभाषा सम्मान पुरस्कार' प्रदान किया गया। नवी मुंबई नराकास को यह पुरस्कार पाँचवी बार प्राप्त हुआ है।

13.0. आभार

अध्यक्ष ने रेल मंत्रालय और महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल के राज्यों की सरकारों के साथ-साथ केंद्र सरकार के विभागों और एजेंसियों को उनकी मदद, समर्थन और सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने निगम के प्रबंधन में बहुमूल्य मार्गदर्शन और सलाह के लिए बोर्ड के सदस्यों को भी धन्यवाद दिया। उन्होंने निगम के लिए अब तक का सबसे अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए सभी कर्मचारियों के समर्पण और कड़ी मेहनत के प्रयासों की भी सराहना की।

महाप्रबंधक (वित्त) ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए निगम के वित्तीय विवरणों पर एक प्रस्तुति दी, जिसमें उन्होंने निम्नलिखित बातों पर प्रकाश डाला:-

| विवरण | 2023-24 (₹ करोड़ में) | 2022-23 (₹ करोड़ में) |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| यातायात राजस्व | 1730.61 | 1721.51 |
| परियोजना राजस्व | 2698.10 | 3274.70 |
| अन्य परिचालन राजस्व | 32.91 | 32.25 |
| अन्य आय | 215.89 | 123.78 |
| कुल आय | 4677.53 | 5152.25 |

| | | |
|---------------------------------------|---------|---------|
| रोलिंग स्टॉक का किराया शुल्क | 258.92 | 239.92 |
| ईंधन व्यय: (डीजल शुल्क + बिजली शुल्क) | 226.57 | 356.09 |
| कार्य सूची में परिवर्तन प्रगति | (1.89) | (11.30) |
| मरम्मत एवं रखरखाव | 129.37 | 83.99 |
| कर्मचारी लाभ व्यय | 765.64 | 742.32 |
| वित्त लागत | 271.91 | 234.26 |
| मूल्यहास | 162.64 | 119.47 |
| परियोजना लागत | 2471.11 | 3004.83 |
| कुल व्यय | 4375.79 | 4873.32 |
| शुद्ध लाभ | 301.73 | 278.93 |

यहाँ, कंपनी सचिव ने उल्लेख किया कि निगम ने शेयरधारकों को लेखा परीक्षक रिपोर्ट भेजी थी और उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि सी एंड एजी ने वर्ष 2023-24 के लिए 'शून्य टिप्पणियाँ' रिपोर्ट दी है।

इसके बाद, एजेंडा आइटम पर विचार किया गया।

साधारण कार्य

मद सं.1

सदस्यों की अनुमति से, वित्तीय विवरणों को अपना वित्तीय विवरणों को मान लिया गया।

अध्यक्ष ने एक साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया।

“संकल्प लिया गया कि 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण (लेखापरीक्षित स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय विवरण), उन पर निदेशक मंडल और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ और बैठक के समक्ष रखे गए प्रबंधन के उत्तर एतद्द्वारा अनुमोदित किए जाते हैं।”

श्रीमती विजयश्री के.एस. ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

श्री अनुराग कपिल ने प्रस्ताव का समर्थन किया।

संकल्प सर्वसम्मति से पारित हुआ।

मद संख्या 2

वैधानिक लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक का निर्धारण

कंपनी सचिव ने उल्लेख किया कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने अभी तक वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए निगम के वैधानिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति नहीं की है। इसलिए, प्रबंधन ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए वैधानिक लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक के रूप में पिछले वर्ष की तरह ही लेखा परीक्षा शुल्क (यानी 9.50 लाख रुपये) प्रस्तावित किया है। उन्होंने आगे उल्लेख किया कि निदेशक मंडल ने 13.08.2024 को आयोजित अपनी 183 वीं बैठक में सीएमडी को लेखा परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए वैधानिक लेखा परीक्षक के साथ बातचीत करने के लिए अधिकृत किया था, यदि पारिश्रमिक की अधिक राशि का भुगतान किया जाना आवश्यक है।

अध्यक्ष ने एक साधारण प्रस्ताव के रूप में निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया।

“संकल्प लिया गया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली द्वारा नियुक्त वैधानिक लेखा परीक्षकों को 9.50 लाख रुपये या सीएमडी द्वारा तय की गई राशि का लेखा परीक्षा शुल्क दिया जाए।

श्रीमती विजयश्री के.एस. ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

श्री अनुराग कपिल ने प्रस्ताव का समर्थन किया।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ।

विशेष कार्य:

मद संख्या 3

श्री संतोष कुमार झा की कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्ति

श्री संतोष कुमार झा (डीआईएन 07738247) की कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्ति पर विचार करना। कंपनी सचिव ने कंपनी के एसोसिएशन के अनुच्छेद 65 (1) (ए) के अनुसार कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की नियुक्ति के लिए भारत के राष्ट्रपति के अधिकारों के बारे में बताया। उन्होंने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के तहत निदेशकों की नियुक्ति के लिए कंपनी के सदस्यों के अनुमोदन की आवश्यकता को सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 27(1 सी) के पहले प्रावधान के साथ पढ़ा जाए, के बारे में आगे बताया।

इसके बाद, अध्यक्ष ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:

“संकल्प लिया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के प्रावधानों के अनुसार कंपनी के एसोसिएशन के लेखों के अनुच्छेद 65(1) के साथ पढ़ा जाए और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 27(1 सी) के पहले प्रावधान के अनुसार, कंपनी के शेयरधारकों की सहमति श्री संतोष कुमार झा (डीआईएन 07738247) (डीओबी: 26.03.1967) को कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त करने के लिए दी जाती है। रेल मंत्रालय के पत्र संख्या 2022/ई(ओ)II/40/27 नई दिल्ली दिनांक 26.02.2024 के अनुसार, 01.04.2024 से 31.03.2027 तक (अर्थात् उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि तक) या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, पद पर नियुक्त किया गया है।

इसके अलावा यह भी प्रस्ताव किया गया कि कंपनी सचिव को ऐसे सभी कार्य, कर्म और चीजें करने और ऐसे सभी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत किया जाता है जो इस प्रस्ताव को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक, समीचीन और प्रासंगिक हो सकते हैं।"

श्रीमती विजयश्री के.एस. ने प्रस्ताव पेश किया।

श्री संजय सेठी ने प्रस्ताव का समर्थन किया।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।

मद संख्या 4.

डॉ. मंजुला एन. की कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्ति कर्नाटक सरकार के सचिव (बुनियादी ढांचा विकास विभाग)

कर्नाटक सरकार के सचिव (बुनियादी ढांचा विकास विभाग) डॉ. मंजुला एन. (डीआईएन-07508345) की कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्ति पर विचार करना।

कंपनी सचिव ने कंपनी के एसोसिएशन के अनुच्छेद 66 (1) के अनुसार कंपनी के बोर्ड में निदेशक नियुक्त करने के कर्नाटक के राज्यपाल के अधिकारों के बारे में बताया। उन्होंने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के तहत निदेशकों की नियुक्ति के लिए कंपनी के सदस्यों के अनुमोदन की आवश्यकता को सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियमन 27(1 सी) के पहले प्रावधान के साथ पढ़ा।

इसके बाद, अध्यक्ष ने निम्नलिखित संकल्प पेश किया:

"संकल्प लिया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के प्रावधानों के अनुसार कंपनी के एसोसिएशन के लेखों के अनुच्छेद 66(1) के साथ पढ़ा जाए और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियमन 27(1 सी) के पहले प्रावधान के अनुसार, कंपनी के शेयरधारकों की सहमति डॉ. मंजुला एन. (डीआईएन-07508345) (डीओबी: 21.08.1975), सचिव (बुनियादी ढांचा विकास विभाग), कर्नाटक सरकार की नियुक्ति के लिए दी जाती है। जिन्हें कर्नाटक के राज्यपाल ने अपने पत्र संख्या आईडीडी 217 एनएसडब्ल्यू 2021 बंगलुरु दिनांक 07.03.2024 के माध्यम से निगम के बोर्ड में अंशकालिक आधिकारिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। 07.03.2024 से, कर्नाटक सरकार से आगे की अधिसूचना प्राप्त होने तक की अवधि के लिए।

इसके अलावा यह भी संकल्प लिया जाता है कि कंपनी सचिव को ऐसे सभी कार्य, कर्म और चीजें करने और ऐसे सभी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत किया जाता है जो इस संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक, समीचीन और प्रासंगिक हो सकते हैं।"

श्रीमती विजयश्री के.एस. ने प्रस्ताव पेश किया।

श्री संजय सेठी ने प्रस्ताव का समर्थन किया।
प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।

मद संख्या 5

श्री अनुराग कपिल की कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्ति
रेलवे बोर्ड के कार्यकारी निदेशक वित्त (व्यय-II) श्री अनुराग कपिल (डीआईएन 06640383) की कंपनी के निदेशक
के रूप में नियुक्ति ।

कंपनी सचिव ने कंपनी के एसोसिएशन के अनुच्छेद 65 (1) (बी) के अनुसार कंपनी के बोर्ड में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले निदेशकों को नियुक्त करने के भारत के राष्ट्रपति के अधिकारों के बारे में बताया। उन्होंने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 और अन्य लागू प्रावधानों, के तहत निदेशकों की नियुक्ति के लिए कंपनी के सदस्यों के अनुमोदन की आवश्यकता को सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 27(1 सी) के पहले प्रावधान के साथ पढ़ा।

इसके बाद, अध्यक्ष ने निम्नलिखित संकल्प पेश किया:

“संकल्प लिया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 और अन्य लागू प्रावधानों, के अनुसार कंपनी के एसोसिएशन के लेखों के अनुच्छेद 65(1) के साथ पढ़ा जाए और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 27(1 सी) के पहले प्रावधान के अनुसार, कंपनी के शेयरधारकों की सहमति श्री अनुराग कपिल (डीआईएन-06640383) (जन्म तिथि: 21.09.1973), कार्यकारी निदेशक वित्त (व्यय-II), रेलवे बोर्ड, की नियुक्ति के लिए दी जाती है। रेल मंत्रालय के पत्र संख्या 2022/पीएल/57/10 नई दिल्ली दिनांक 20.05.2024 द्वारा निगम के बोर्ड में अंशकालिक आधिकारिक निदेशक के रूप में 20.05.2024 से रेल मंत्रालय से अगली अधिसूचना प्राप्त होने तक की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है।

इसके अलावा यह भी संकल्प लिया जाता है कि कंपनी सचिव को ऐसे सभी कार्य, कर्म और चीजें करने और ऐसे सभी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत किया जाता है जो इस संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक, समीचीन और प्रासंगिक हो सकते हैं।”

श्रीमती विजयश्री के.एस. ने प्रस्ताव पेश किया।
श्री संजय सेठी ने प्रस्ताव का समर्थन किया।
प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।

मद संख्या 6

अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय अधिमान्यता शेयरों ('सीसीपीएस') का 423.70 करोड़ रुपये के इक्विटी शेयरों में रूपांतरण तथा सीसीपीएस के रूपांतरण पर इक्विटी शेयरों का आबंटन।

कंपनी सचिव ने सदस्यों को सूचित किया कि कंपनी के सदस्यों ने 12.03.2024 को आयोजित अपनी असाधारण आम बैठक में 336.88 करोड़ रुपये के सीसीपीएस को इक्विटी शेयरों में रूपांतरण (कुल 12 किस्तों में से 251.50 करोड़ रुपये की पहली किस्त तथा 85.38 करोड़ रुपये की दूसरी किस्त) के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। निदेशक मंडल ने 29 मई, 2024 को आयोजित अपनी 181 वीं बैठक में कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियम, 2014 के नियम 13(2) (ई) के अनुसार कंपनी की 34 वीं वार्षिक आम बैठक में सीसीपीएस (तीसरी किस्त से 9 वीं किस्त के लिए) के 423.70 करोड़ रुपये को इक्विटी शेयरों में बदलने के लिए शेयरधारकों की मंजूरी प्राप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी।

इसके बाद, अध्यक्ष ने विशेष संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प पेश किया:

“संकल्प लिया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42, 55, 62 और अन्य लागू प्रावधानों, (इसमें वर्तमान में लागू किसी भी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन सहित) के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के एसोसिएशन के ज्ञापन और एसोसिएशन के लेखों को कंपनी के शेयरधारकों की सहमति से इक्विटी शेयरों में बदलने के लिए निदेशक मंडल को मंजूरी दी जाती है। 42,37,000 अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय गैर-संचयी 15 वर्षीय वरीयता शेयर (सीसीपीएस) प्रत्येक 1000/- रुपये (केवल एक हजार रुपये) के, 42,37,000 इक्विटी शेयरों में 1000/- रुपये प्रत्येक के, नीचे दिए गए विवरण के अनुसार सात (07) किस्तों में:

| क्रम संख्या | सुरक्षा विवरण | राशि (' करोड़ में) | सुरक्षा धारक का नाम | जारी करने की तिथि | इक्विटी शेयरों में रूपांतरण की तिथि |
|-------------|---|--------------------|--|-------------------|-------------------------------------|
| 1. | 375000 की तीसरी किस्त सीसीपीएस की राशि रु 1000/- प्रत्येक | 37.50 | भारत के राष्ट्रपति (रेल मंत्रालय के माध्यम से) | 01.10.2009 | 01.10.2024 |
| 2. | सीसीपीएस की 820000 की चौथी किस्त, रु 1000/- प्रत्येक | 82.00 | | 30.10.2009 | 30.10.2024 |
| 3. | सीसीपीएस की 675000 की पांचवीं किस्त, रु 1000/- प्रत्येक | 67.50 | | 30.11.2009 | 30.11.2024 |
| 4. | सीसीपीएस की 250000 की छठी किस्त सीसीपीएस की 1000/- रुपये प्रति की दर से | 25.00 | | 26.02.2010 | 26.02.2025 |

| | | | | | |
|----|--|--------|--|------------|------------|
| 5. | सीसीपीएस की 513600 नगों की 7 वीं किश्त, 1000/- रुपये प्रति की दर से | 51.36 | | 21.04.2010 | 21.04.2025 |
| 6. | सीसीपीएस की 1179400 नगों की 8 वीं किश्त, 1000/- रुपये प्रति की दर से | 117.94 | | 25.05.2010 | 25.05.2025 |
| 7. | सीसीपीएस की 424000 नगों की 9 वीं किश्त सीसीपीएस का 1000/- रुपये प्रत्येक | 42.40 | | 13.07.2010 | 13.07.2025 |

“इसके अलावा यह भी संकल्प लिया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42, 62 और अन्य लागू प्रावधानों (तो उसके किसी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन सहित) के प्रावधानों के अनुसार, और यदि लागू हो तो उपयुक्त वैधानिक/नियामक प्राधिकरणों के आवश्यक अनुमोदन/अनुमति/अनुमति के अधीन, कंपनी के शेयरधारकों की सहमति निदेशक मंडल को 42,37,000 शेयर बनाने, पेश करने, जारी करने और आवंटित करने के लिए दी जाती है। 42,37,000 अनिवार्यतः परिवर्तनीय गैर-संचयी 15 वर्षीय अधिमान्यता शेयरों के परिवर्तन पर, प्रत्येक 1000/- रुपये (केवल एक हजार रुपये) अंकित मूल्य वाले इक्विटी शेयरों को भारत के राष्ट्रपति (रेल मंत्रालय के माध्यम से) को हस्तांतरित किया जाएगा।

इसके अलावा यह भी संकल्प लिया गया कि

क) सीसीपीएस के रूपांतरण के अनुसार आवंटित किए जाने वाले इक्विटी शेयर डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म में होंगे;

ख) सीसीपीएस के रूपांतरण के अनुसार आवंटित किए जाने वाले इक्विटी शेयर सभी मामलों में मौजूदा इक्विटी शेयरों के समान होंगे।

ग) शेयरधारकों ने सीसीपीएस के इक्विटी में रूपांतरण के परिणामस्वरूप शेयरधारिता पैटर्न में परिवर्तन को ध्यान में रखा है, जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है:

| शेयरधारक | भुगतान की गई इक्विटी शेयर पूंजी की वर्तमान होल्डिंग (27.05.2024 तक) (₹करोड़ में) | मौजूदा शेयर होल्डिंग पैटर्न (27.05.2024 तक) | सीसीपीएस को इक्विटी में बदलने पर इक्विटी शेयरों का आवंटन (₹करोड़ में) | सीसीपीएस को इक्विटी में बदलने के बाद भुगतान की गई इक्विटी शेयर पूंजी (₹करोड़ में) | सीसीपीएस को इक्विटी में बदलने के बाद नई शेयर होल्डिंग पैटर्न रेल मंत्रालय |
|------------------|--|---|---|---|---|
| रेल मंत्रालय | 1256.1277 | 59.18% | 423.70 | 1679.8277 | 65.97% |
| महाराष्ट्र सरकार | 396.5425 | 18.68% | - | 396.5425 | 15.57% |
| कर्नाटक सरकार | 270.3699 | 12.74% | - | 270.3699 | 10.62% |
| गोवा सरकार | 91.2980 | 4.30% | - | 91.2980 | 3.59% |

| | | | | | |
|------------|-----------|-------|--------|-----------|-------|
| केरल सरकार | 108.1481 | 5.10% | - | 108.1481 | 4.25% |
| कुल | 2122.4862 | 100% | 423.70 | 2546.1862 | 100% |

* गोवा सरकार की शेयरधारिता में 16.85 करोड़ रुपये की सदस्यता और 490 करोड़ रुपये के तीसरे राइट्स इश्यू के अंतिम भुगतान के बाद और वृद्धि होगी।

रेल मंत्रालय की शेयरधारिता में तब और वृद्धि होगी जब सभी अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय गैर-संचयी 15 वर्ष/20 वर्ष के अधिमान्य शेयर, जिनकी कुल राशि 4079.51 करोड़ रुपये है, 30.03.2029 को इक्विटी शेयरों में परिवर्तित हो जाएंगे।

उस समय शेयरहोल्डिंग पैटर्न इस प्रकार होगा:

| शेयरधारक | इक्विटी शेयर होल्डिंग (' करोड़ में) | होल्डिंग का प्रतिशत |
|------------------|-------------------------------------|---------------------|
| रेल मंत्रालय | 4998.7577 | 85.23% |
| महाराष्ट्र सरकार | 396.5425 | 6.76% |
| कर्नाटक सरकार | 270.3699 | 4.61% |
| गोवा सरकार | 91.2980 | 1.56% |
| केरल सरकार | 108.1481 | 1.84% |
| कुल | 5865.1162 | 100% |

यह भी संकल्प लिया गया कि रूपांतरण पर आबंटिती को आवंटित किए जाने वाले इक्विटी शेयर डीमैट फॉर्म में जारी किए जाएं, तथा निदेशक मंडल को आवश्यक आवेदन करने तथा ऐसे सभी कदम उठाने के लिए अधिकृत किया जाता है जो डिपॉजिटरी, यानी नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड के पास ऐसे इक्विटी शेयरों के प्रवेश के लिए आवश्यक हो सकते हैं, ताकि अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय वरीयता शेयरों के रूपांतरण पर आबंटित किए जाने वाले ऐसे इक्विटी शेयरों को आबंटिती के डीमैट खाते में जमा किया जा सके तथा भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1989 के अनुसार इक्विटी शेयरों के जारी होने पर स्टाम्प शुल्क का भुगतान किया जा सके।

यह भी संकल्प लिया गया कि पूर्वोक्त संकल्प को प्रभावी करने के उद्देश्य से निदेशक मंडल को ऐसे सभी कार्य, विलेख, मामले तथा चीजें करने के लिए अधिकृत किया जाता है, जिन्हें वह अपने पूर्ण विवेक से ऐसे उद्देश्य के लिए आवश्यक, उचित या वांछनीय समझे, जिसमें विभिन्न विलेखों, दस्तावेजों, लेखों, समझौतों का निष्पादन शामिल है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है, तथा संशोधित करने, स्वीकार करने के लिए भी अधिकृत किया जाता है। तथा इसमें तथा निर्गम की शर्तों में किसी भी संशोधन को प्रभावी बनाना, जैसा कि वैधानिक, विनियामक तथा अन्य उपयुक्त प्राधिकरणों द्वारा अपेक्षित हो सकता है, शेयरधारकों से किसी और सहमति की आवश्यकता के बिना तथा प्रस्तावित निर्गम में उत्पन्न होने वाले सभी प्रश्नों या शंकाओं का समाधान करना।

इसके अलावा यह भी संकल्प लिया गया कि लागू कानूनों के अधीन, निदेशक मंडल को इस बात के लिए अधिकृत किया जाता है कि वह इसमें प्रदत्त सभी या किसी भी शक्ति को कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक या उनके द्वारा नामित अधिकारी(यों) को सौंप दे तथा निदेशक मंडल द्वारा उचित समझे जाने पर समय-समय पर ऐसे प्रत्यायोजन को रद्द करके प्रतिस्थापित कर दे, ताकि उक्त संकल्पों को प्रभावी बनाया जा सके।

श्रीमती विजयश्री के.एस. ने संकल्प का प्रस्ताव रखा।

श्री श्रीधर मूर्ति एन.एस. ने संकल्प का समर्थन किया।

संकल्प सर्वसम्मति से पारित हुआ।

धन्यवाद प्रस्ताव

अध्यक्ष ने बैठक में भाग लेने के लिए शेयरधारकों, निदेशकों और लेखा परीक्षकों के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव रखा।

अध्यक्ष ने घोषणा की कि बैठक समाप्त हो गई है।

स्थान: सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई

दिनांक:

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

डीआईएन 07738247